(BP4) (280)

निग0 5978/2018/सीधी/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

1– हीरालाल मिश्रा पिता श्री शंकरराम मिश्रा

2– ~~दिनेन्द्र~~ प्रसाद मिश्रा पिता श्री ~~कौशल प्रसाद~~ मिश्रा दोनों निवासी ग्राम नौढिया तहसील सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

--------निगरानीकर्तागण

बनाम

1– राजेश सिंह पिता श्री शिवनारायण सिंह

2– विजय नारायण सिंह पिता श्री शिवनारायण सिंह

3– मार्तण्ड प्रताप सिंह पिता श्री शिवनारायण सिंह सभी निवासी ग्राम अमिलिया तहसील सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

--------गैरनिगरानीकर्तागण

अधि० श्री हरीश पाण्डेय द्वारा पेश। 29-9-18

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 18/08/2018 प्रकरण कमांक 54/अपील/ 98-99 (बेबा जैराजू देवी वगैरह बनाम हीरालाल मिश्रा वगैरह) न्यायालय अपर कमिश्नर संभाग रीवा लिंक कोर्ट सीधी/सतना जिला रीवा (म0प्र0)

अपील अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तथा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली सारवान विधिक व प्रकियात्मक त्रुटि के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2– यह कि ग्राम अमिलिया की भूमि खसरा नंबर 1273रकवा 0.11 ढिसमिल के अंश रकवा 0.03 ढिसमिल में कौशल प्रसाद मिश्रा का पुस्तैनी कब्जा है एवं भूमि खसरा नंबर 1274 रकवा 0.19

(280)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग./5978/प.नि./2018 जिला– सीधी

हीरालाल मिश्रा विरूद्ध राजेश सिंह

(1)	(2)	(3)
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री हरीराम पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/अपील/98-99 में पारित आदेश दिनांक 18-8-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29-9-18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	